Statement

No. of ESI Hospitals & Dispensaries in the State of Maharashtra, District-wise

s. No.	Name of the District	No. of ESI Hospitab	Dispensaries
1.	Bombay	8	20
2.	Pune	1	4 4
3.	Solapur	1	
4.	Kolhapur	—	S 1
5.	Satara		
6.	Nasik	1	5
7.	Sangli	—	2
8.	Jalgaon		4
9.	Dhule		2
10.	Aurangabad	—	4 2
11.	Nanded		
12.	Nagpur	1	16 3
13.	Akola		
14.	Wardha	—	2
15.	A Hiravati	—	1
16.	Chandrapur	—	1
	Total	12	76

There is no proposal from the Govcrnmeni of Maharashtra received in the ESIC for upgradation of any ESI dispensaries as hospitals.

सरकार के एकाधिकार में रखे जाने वाले क्षेत्र

*505. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किलोक उद्यम विभाग ने यह सलाह दी है कि आठ मूल क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों को सरकार के एकाधिकार में ही रखा जाये;

(ख) यदि हां, तो इन आठ मूल क्षेत्रों में कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस उपरोक्त सलाह पर विचार कर कोई निर्णय भी लिया है;

(घ) यदि हां, तो निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री पुरासोत्ली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ग) वर्तमान नीति के तहत सरकारी क्षेत्र के लिए केवल 6 क्षेत्र आरक्षित हैं। इस सूची को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता मदों के मुद्रित और फुटकर मूल्यों में अन्तर

*507. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न घरेलू किराना वस्तुओं और उपभोक्ता मदों पर मुद्रित फुटकर मूल्यों तथा इनके वास्तविक विक्रय मूल्यों में बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडर और सुपर बाजार में भी इन मदों पर अधिक मूल्य दर्शाया जाता है; और

(घ) इस तरह की कार्यविधि से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जोन का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) किसी पैकेज पर मुद्रित मूल्य में कर, भाड़ा तथा कमीशन जैसे विभिन्न अवयव शामिल होते हैं। मुद्रित मूल्य केवल अधिकतम मूल्य होता है और वास्तविक बिक्री मूल्य इन कारकों को देखते हुए अधिकतम खुदरा मूल्य से कम हो सकता है।

(ग) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार में घरेलू किराना वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत सारी किस्मों के बिक्री मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर नियत किए जाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार उस मार्जिन पर वस्तुएं बेचते हैं जो प्रापण लागत के 9% से अधिक न हो बशर्ते कि बिक्री मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक न हो।

(घ) पैकेज पर घोषित किए गए अधिकतम खुदरा मूल्यों से अधिक मूल्य वसूल करने के मामलों का पता लगाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का अचानक निरीक्षण और जांच की जाती है। दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 तथ बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।